Date- 27/04/2020
Sociology(Gen/Sub.), Part-II, Paper-II, Unit-5, Problem of Child Labour: Remedies;
Dr. Pramod Gandhi, Lecture series no.-2

बाल–श्रम समस्या के निवारण के उपायः–

1. 14 साल से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा।
2. बाल–श्रमिक (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 1986 के अनुसार हर नियोजक जो बच्चों को काम पर लगाता हो उसे नियुक्त बच्चे के लिए 20000 रूपये की राशि जमा करना।
3. बाल–श्रमिक (रोकथाम व नियंत्रण) अधिनियम 1986 की धारा 17 के अन्तर्गत जो इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं, सुनिश्चित करे कि इस अधिनियम के प्रावधानों का पालन ठीक प्रकार से हो तथा इसका उल्लंघन करने वाले हर नियोजक 20000 रूपये की राशि जिला या क्षेत्र बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण कोष में जमा कराए।
4. किसी भी नियुक्त बाल श्रमिक को काम से हटाकर नियोजक अपने दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता ।
5. कोष में जमा की गई राशि से उत्पन्न आमदनी केवल बाल श्रमिक के लिए ही व्यय करना चाहिए।
6. कोष में जमा की गई राशि से उत्पन्न आय का प्रयोग बाल मजदूरी का भविष्य उज्जवल करने के लिए किया जा सकता है। आय उपार्जन हेतु किसी भी राष्ट्रीय बैंक या सार्वजनिक संस्था द्वारा चलायी गयी हो वहां जमा किया जा सकता है।
7. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें इसमें अपनी ओर से भी आर्थिक सहायता प्रदान कर गरीब बच्चों के अभिभावकों की मदद कर सकती है।
8. राज्य सरकार संभव हो तो यह सुनिश्चित कर सकती है कि खतरनाक कामों में कार्यरत बाल श्रमिकों के परिवार से किसी भी व्यस्क सदस्य को बाल श्रमिक के स्थान पर रोजगार दिला सके।
9. उन मामलों में जहां उपरोक्त संभव न हो, वहां सरकार हर बच्चे के लिए जो भी खतरनाक कार्य में लगा हो, उनके लिए प्रति बच्चा 5000 रूपये की आर्थिक सहायता जमा करे।
10. सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह या तो परिवार में किसी वयस्क को (जिसका नाम अभिभावक द्वारा सुझाया गया हो) रोजगार प्रदान करें या फिर बाल श्रमिक पुनर्वास तथा कल्याण कोष को 25000 रूपये जमा करे। यदि परिवार के किसी व्यक्ति को काम पर लगाया जाता और अभिभावक न उपलब्ध करवाया गया हो तो भी यह अनिवार्य है कि अभिभावक यह देखे कि उस बच्चे को काम पर न लगाया जाए क्योंकि उससे होने वाली आय का प्रावधान सुनिश्चित किया जा चुका है और आय बिना काम करे ही प्राप्त हो सकती है।

DR. P. GANDHI